188

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2529–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.07.2014 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला पन्ना प्रकरण क्रमांक 01/अ–21/वर्ष 2013–14 स्वमेव निगरानी।

बृजकिशोर कटैहा पुत्र श्री बन्दी प्रसाद कटैहा
निवासी – इन्द्रपुरी कालोनी पन्ना तहसील व
जिला पन्ना (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1– ग्रामवासी ग्राम मनौर द्वारा शासन म.प्र.

2– गुरूपद पुत्र दीनानाथ मिस्त्री
निवासी ग्राम जरूआपुर तह. व जिला पन्ना म.प्र.

3– कौशलेन्द्र सिंह पुत्र बखत सिंह यादव
निवासी डरवाकला तहसील व जिला पन्ना म.प्र.

4– सतेन्द्र बहादुर पुत्र प्रीतबहादुर परमार
निवासी कटरा मोहल्ला पन्ना तह. व जिला पन्ना म.प्र.

5– विनय श्रीवास्तव पुत्र सुरेन्द्र श्रीवास्तव
निवासी कटरा मोहल्ला पन्ना तह. व जिला पन्ना म.प्र.

..... अनावेदकगण

श्री एस.के. श्रीवास्तव अधिवक्ता आवेदक
पूर्व से एकपक्षीय अनावेदकगण 1 ता 5

आदेश

(आज दिनांक 21–09–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर पन्ना के प्रकरण क्रमांक 01/अ–21/वर्ष 2013–14 स्व. निग. में पारित आदेश दिनांक 30.07.2014 के विरूद्ध मप्र. भू. राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 159/10क जुज रकवा 0.203 है0 भूमि बांके ग्राम मनौर प.ह.नं. 2 राजस्व निरीक्षण्क मण्डल पन्ना तहसील व जिला पन्ना में स्थित होकर अनावेदक कं. 2 गुरूपद मिस्त्री के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी। उक्त भूमि आवेदक ने अनावेदक कं. 2 से विधिवत प्रतिफल अदा कर जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2006 को क्रय की जिस पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में नामांतरण हुआ। ग्राम मनौर के असंबंधित व्यक्तियों द्वारा द्वेश पूर्ण भावना से प्रेरित होकर एक शिकायती आवेदन अपर कलेक्टर पन्ना को प्रस्तुत किया जिस पर से प्रकरण प्रांरभ होकर अपर कलेक्टर ने आवेदक एंव अनावेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जबाव लिया गया आवेदक ने उक्त नोटिस का जबाव आवेदन दिनांक 03.07.2014 को प्रस्तुत कर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया। अपर कलेक्टर पन्ना ने अपने आदेश दिनांक 30.07.2014 द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त कर तहसीलदार पन्ना से वादग्रस्त आराजी के भूमि बंटन का मूल प्रकरण मंगाये जाने के आदेश दिये । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए है कि भूमि ख.नं. 159/10 रकवा 0.530 है0 स्थित ग्राम मनौर तहसील व जिला पन्ना प्र.क्रं. 18/अ–19/ वर्ष 1982–83 में आदेश दिनांक 13.12.1983 से अनावेदक क्रं. 2 गुरूपद मिस्त्री को पटटे में प्राप्त हुई थी। जिसका उसे दिनांक 04.09.1991 को भूमिस्वामी घोषित किया गया है। जबकि धारा 165 (7–ख) म.प्र. भू. राजस्व संहिता दिनांक 28.10.92 को अंतः स्थापित कीगई है जिसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिा गया है ऐसी स्थिति में पूर्व किए गए पटटो की भूमि अंतरणों पर लागू नहीं होती।

यह तर्क भी दिया गया कि आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि अनावेदक क्र. 2 को पट्टे पर प्राप्त होकर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये थे अर्थात लंबे अर्से से राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आ रही थी पट्टेदार को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद भूमि विक्रय किये जाने के लिये कलेक्टर की अनुमति लिया जाना आवश्यक नहीं है।

यह तर्क भी दिया गया पट्टेदार को रूपयों की आवश्यकता पड़ने पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2006 को ख.नं. 159/10 रकवा 0.530 है0 में से जुज रकवा 0.203 है0 भूमि का विक्रय अनावेदक क्र. 2 गुरूपद मिस्त्री ने आवेदक ब्रजकिशोर के पक्ष में विक्रय पत्र किया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के हक में नामांतरण भी हो चुका है। पट्टे पर प्राप्त इस भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर की पूर्वानुमति प्राप्त किये आवेदक को कर दिया इस विक्रय की जानकारी ग्रामवासी ग्राम मनौर के द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र कलेक्टर के समक्ष दिया गया इस पर से तहसीलदार पन्ना से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया जिसे अपर कलेक्टर पन्ना को प्रेषित

किया। जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए अपर कलेक्टर पन्ना ने आवेदक एंव अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किये जिसका आवेदक एवं अन्य ने लिखित में जबाव पेश कर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया जिसे अपर कलेक्टर पन्ना ने अपने आदेश दिनांक 30.07.2014 द्वारा आपत्ति आवेदन निरस्त कर दिया।

यह तर्क दिया गया कि न्याय दृष्टांत 2013 आर.एन. 8 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि संहिता की धारा 165 (7'ख) तथा 158 (3) के उपबंध उक्त धाराओं के अंतः स्थापन के पूर्व पट्टो तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए गए प्रकरणों में लागू नहीं होगी – कयोंकि उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है। उक्त न्याय दृष्टांत के आधार पर उनके द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश एंव उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही को निरस्त किए जाने तथा निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण अनुपस्थित है ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध पूर्व से एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में बाके ग्राम मनौर स्थित विवादित भूमि सर्वे नं. 159/10 रकवा 0.530 है0 अनावेदक गुरूपद मिस्त्री को वर्ष 1983 में बंटन में दी गई थी और दिनांक 04.09.1991 को उसे भूमिस्वामी अधिकारों का पटटा दिया जाकर भूमिस्वमी घोषित किया गया है। अनावेदक गुरूपद मिस्त्री द्वारा सर्वे नं. 159/10 रकवा 0.530 है0 में से सर्वे नं. 159/10क जुज रकवा 0.203 है0 आवेदक को विक्रय किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधर पर आवेदक का नामांतरण हो गया है। जहां

तक प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय के पूर्व कलेक्टर की अनुमति लेने का प्रश्न है इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा 1999 रा. नि. 363, 2004 रा. नि. 183, 2005 रा.नि. 66 एवं 2011 रा.नि. 426 में प्रतिपादित किये गये हैं कि यदि पट्टाधारी को पट्टा प्राप्त होने के पश्चात भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तब उस स्थिति में भूमि विक्रय के पूर्व कलेक्टर की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। शिकायत के आधार पर इतने वर्षो पश्चात अपर कलेक्टर ने कार्यवाही प्रारंभ कर आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसका आवेदक ने लिखित में जबाव (आपत्ति) पेश कर उपरोक्त सभी तथ्य एवं न्याय दृष्टांत लेख कर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया था लेकिन अपर कलेक्टर ने उनके समक्ष उठाई गई आपत्ति (जबाव) पर गंभीरता से विचार न कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त किये जाने का पारित आदेश दिनांक 30.07.2014 एवं उसके पश्चात आवेदक की भूमि के संबंध में की जा रही कार्यवाही अवैध एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपर कलेक्टर का आलोच्य आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2014 एवं उसके पश्चात आवेदक की भूमि सर्वे नं. 159/10क करवा 0.203 है0 के संबंध में कीजा रही समस्त कार्यवाही निरस्त की जाती है। आवेदक के नाम वादग्रस्त भूमि सर्वे नं. 159/10क रकवा 0.203 है0 भूमि पर विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में अमल को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर